29-9-2016

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। बावजूद आवाज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद नम्बर व कम होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे।

मुरारी लाल शर्मा
RAS
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं